



# भारतीय रिज़र्व बैंक

शहरी बैंक विभाग  
केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**URBAN BANKS DEPARTMENT**  
CENTRAL OFFICE, MUMBAI

लाइसेंस सं. यूबीडी. डब्ल्यूबी 16/2010-11  
LICENCE No. UBD.WB 16/2010 - 11

दिनांक फरवरी 23, 2011  
Dated February 23, 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ण) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

## **राणाघाट पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड**

को एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने और उसे चालू रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है:

- बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल निबंधक, सहकारी समितियाँ द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित उपविधियों में उल्लिखित क्षेत्र तक सीमित होगा।
- बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपना कारोबार शुरू करने के दिन / लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 22 (1) read with Section 56 (o) of the Banking Regulation Act, 1949,

## ***Ranaghat People's Co-operative Bank Ltd.***

is hereby granted a licence to commence and carry on banking business, subject to the following conditions :

- The area of operation of the bank shall be confined only to the area as indicated in the bye - laws duly approved by the Registrar of Co-operative Societies.
- This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the day on which it commences business / date following the receipt thereof.



(C. Patnaik)  
(सी. पटनायक)  
उप महाप्रबंधक

Deputy General Manager